रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220548 CG-DL-E-16072020-220548

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] No. 346] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/आषाढ़ 24, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASHADHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 450(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (द) और (य च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं. अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 है।
 - (2) ये 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'आयोग' से जिला आयोग, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत हैं;
 - (ग) 'मध्यस्थता प्रकोष्ठ' से धारा 74 के प्रावधानों के अनुसरण में स्थापित उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ अभिप्रेत है;
 - (घ) 'पैनल' से धारा 75 की उप-धारा (1) के अधीन आयोग द्वारा तैयार किया गया मध्यस्थों का पैनल अभिप्रेत है;
 - (ङ) 'पक्षकारों' से विवाद से संबंधित कोई पक्षकार अभिप्रेत है;
 - (च) 'समझौता' से मध्यस्थता की कार्रवाई से प्राप्त समझौता अभिप्रेत है;

3147 GI/2020 (1)

- (2) इन नियमों में उपयोग किए गए ऐसे सभी अन्य शब्द और वाक्यांश, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि उस अधिनियम में परिभाषित किया गया हो।
- 3. **मध्यस्थता प्रकोष्ठ (1)** किसी आयोग में स्थापित किये गये प्रत्येक मध्यस्थता प्रकोष्ठ में चयन समिति, जिसमें उस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य सम्मिलित होंगे, की अनुशंसा के अनुसार मध्यस्थों का एक पैनल होगा।
- (2) मध्यस्थता प्रकोष्ठ में उतनी संख्या में सहायक कर्मचारी होंगे, जो उस आयोग के अध्यक्ष द्वारा संबंधित सरकार के साथ परामर्श से निर्धारित किए जाएं तथा वह सरकार आयोग द्वारा अपेक्षित सभी प्रशासनिक सहायता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
- 4. **ऐसे मामले जिन्हें मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा –** निम्नलिखित मामलों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) चिकित्सा लापरवाही के संबंध में कार्यवाही से संबंधित मामले जिनके परिणामस्वरूप घोर क्षति अथवा मृत्यु हुई हो;
 - (ख) ऐसे मामले जो चूक अथवा अपराध से संबंधित हो तथा जिनके लिए किसी एक अथवा एक से अधिक पक्षकारों द्वारा अपराधों को शमनीय बनाने के लिए आवेदन किया गया हो;
 - (ग) ऐसे मामले जिनमें धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने, कूटरचना, प्रतिरूपण, प्रपीणन के गम्भीर और विशिष्ट आरोप शामिल हों;
 - (घ) अपराधियों के अभियोजन और गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित मामले:
 - (ङ) ऐसे मामले जिनमें लोक हित अथवा ऐसे बहुत अधिक व्यक्तियों, जो आयोग के समक्ष पक्षकार नहीं हैं, के हित सम्मिलित हो;

परंतु यह कि इस नियम में उल्लिखित किए गए मामलों के अलावा किसी अन्य मामले के संबंध में, उस आयोग, जिसके समक्ष मामला लंबित है, को यदि यह प्रतीत होता है कि समाधान का ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं हो जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो अथवा मामले की परिस्थितियों तथा पक्षकारों की संबंधित स्थितियों के मद्देनजर मध्यस्थता अन्यथा उपयुक्त नहीं है, तो आयोग इस मामले को मध्यस्थता के लिए अग्रेषित न करने का विकल्प चुन सकता है।

- 5. शुल्क की वापिसी जहां आयोग पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है, तो शिकायतकर्ता, यदि उन पक्षकारों के बीच समाधान हो जाता है, उस शिकायत के संबंध में भुगतान किए गए आवेदन शुल्क की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 6. विवाचन अथवा न्यायिक कार्यवाही की सहायता लेना कोई भी पक्षकार ऐसे किसी मामले, जो मध्यस्थता के अधीन है, के संबंध में कोई विवाचन अथवा न्यायिक कार्यवाही आरम्भ नहीं करेंगे तथा जब ऐसे पक्षकारों ने ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ न करने के लिए सोच-समझकर वचनपत्र भी दिया हो।
- 7. **समाधान समझौता को उससे संबंधित पक्षकार की मृत्यु के मामले में बर्खास्त न किया जाना** (1) कोई समाधान समझौता उससे संबंधित किसी भी पक्षकार की मृत्यु के मामले में बर्खास्त नहीं किया जाएगा तथा मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अथवा उसके विरूद्ध प्रवर्तनीय होगा।
- (2) इस नियम की कोई भी बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके आधार पर किसी कार्रवाई का कोई अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण निर्वापित हो जाता है।

[फा. सं. जे-10/2/2020-सीपीयू]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2020

- **G.S.R.** 450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (r) and (zf) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Mediation) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the 20th day of July, 2020.
- 2. **Definitions**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
 - (b) "Commission" means District Commission, State Commission or National Commission, as the case may be;
 - (c) "mediation cell" means a consumer mediation cell established in accordance with the provisions of section 74;
 - (d) "panel" means a panel of mediators prepared by the Commission under sub-section (1) of section 75;
 - (e) "Parties" means parties to a dispute;
 - (f) "Settlement" means a settlement arrived at in the course of mediation.
 - (2) All other words and expressions used in the rules and not defined but defined in the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Mediation Cell.---(1)** Every Mediation Cell set up in a Commission, shall have a panel of mediators on the recommendation of a selection committee consisting of the President and a member of that Commission.
 - (2) The Mediation Cell shall have such support staff as may be decided by the President of that Commission in consultation with the concerned Government and that Government shall provide all administrative assistance and infrastructure facilities required by the Commission
- **4. Matters not to be referred to mediation.**—The following matters shall not be referred to mediation, namely:—
 - (a) the matters relating to proceedings in respect of medical negligence resulting in grievous injury or death;
 - (b) matters which relate to defaults or offences for which applications for compounding of offences have been made by one or more parties;
 - (c) cases involving serious and specific allegations of fraud, fabrication of documents, forgery, impersonation, coercion;
 - (d) cases relating to prosecution for criminal and non-compoundable offences;
 - (e) cases which involve public interest or the interest of numerous persons who are not parties before the Commission:

Provided that, in any case other than those mentioned in this rule, the Commission before which the case is pending may choose not to refer it to mediation if it appears to the Commission that no elements of a settlement exist which may be acceptable to the parties or that mediation is otherwise not appropriate having regard to the circumstances of the case and the respective positions of the parties.

- **5. Refund of fee.**—Where the Commission refers the parties to mediation, the complainant shall be entitled to receive full amount of application fee paid in respect of such complaint, if a settlement is reached between such parties.
- **6. Resort to arbitral or judicial proceedings.**—The parties shall not initiate any arbitral or judicial proceedings in respect of a matter which is the subject-matter of the mediation and also when such parties have expressly undertaken not to initiate any such proceeding.
- 7. Settlement agreement not to be discharged by death of party thereto.—(1) A settlement agreement shall not be discharged by the death of any party thereto and shall be enforceable by or against the legal representative of the deceased party.
 - (2) Nothing in this rule shall affect the operation of any law by virtue of which any right of action is extinguished by the death of a person.

[F. No. J-10/2/2020-CPU] AMIT MEHTA, Jt. Secy.